भाग-III

हरियाणा सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 सितम्बर, 2019

संख्या साठकाठिन 44/संविठ/अनुठ 309/2019.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिरयाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हिरयाणा सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार विभाग (ग्रुप क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

भाग । सामान्य

- 1. (1) ये नियम हरियाणा सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार विभाग (ग्रुप क) सेवा संक्षिप्त नाम तथा नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।
 - (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।
- 2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

परिभाषाएं।

- (क) ''प्रशासकीय सचिव'' से अभिप्राय है, अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार विभाग, जैसी भी स्थिति हो;
- (ख) ''आयोग'' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;
- (ग) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नित द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;
- (घ) ''सरकार''से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
- (ङ) ''संस्था'' से अभिप्राय है,-
 - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या
 - (ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था :
- (च) ''मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय है,-
 - (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या
 - (ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;
- (छ) ''सेवा'' से अभिप्राय है, हरियाणा सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार विभाग (ग्रप क) सेवा ।

भाग II सेवा में भर्ती

3. सेवा में, इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाए गए पद समाविष्ट होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थाई रुप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

पदों की संख्या तथा उनका स्वरुप।

- 4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो,—
 - (क) भारत का नागरिक ; या
 - (ख) नेपाल की प्रजा; या
 - (ग) भूटान की प्रजा:

परन्तु प्रवर्ग (ख) या (ग) से संबंधित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे केवल भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रिक्ता, अधिवास तथा चरित्र। (3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण—पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से, जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भांति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करे।

नियुक्ति प्राधिकारी। सेवा में पदों पर नियुक्तियाँ सरकार द्वारा की जायेगी ।

योग्यताएं तथा अनुभव। 6. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो ।

अयोग्यताएं।

- 7. कोई भी व्यक्ति,-
 - (क) जिसने जीवित पति / पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या
 - (ख) जिसने पति / पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के लिये अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

- . (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,—
 - (क) निदेशक (प्रशासन) की दशा में,-
 - (i) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
 - (ख) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की दशा में,-
 - (i) प्रशासनिक अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
- (2) स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति केवल अपवादिक परिस्थितियों में की जायेगी जब कोई उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति के लिये उपलब्ध न हो ।
- (3) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबंधित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

परिवीक्षा ।

9. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि वह अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा:

परन्तु–

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा अवधि में गिनी जाएगी ;
- (ख) स्थानांतरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले, किसी समकक्ष अथवा उच्च्तर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है; और
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई भी अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, तो पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा ।
- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह,—
 - (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,-
 - (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या
 - (ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ।
- (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,-
 - (क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—
 - (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या
 - (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या
 - (iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या
 - (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,-
 - (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है तथा यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; या
 - (ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था:

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, भी शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

10. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता, सेवा में किसी भी पद पर लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी:

सेवा के सदस्यों की ज्येष्टता ।

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिए ज्येष्ठता अलग—अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यताक्रम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नित या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ख) पदोन्नित द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ट होगा ;
- (ग) पदोन्नित अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नित या स्थानान्तरित किए गए थे : और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जायेगा जो अपनी पूर्व की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।
- 11. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा ।

सेवा करने का दायित्व ।

- (2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,—
 - (i) कोई कंपनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, या हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालयः

- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कंपनी, संगम या व्यष्टि—निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; अथवा
- (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तरराष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो या गैर–सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमित के बिना खंड (ii) अथवा (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा के अधीन प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले । 12. (1) वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ते) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी भत्ते) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (पंशन) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 तथा ऐसे नियमों द्वारा शासित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये अथवा बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें:

परन्तु हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016, के उपबंध उन सेवा के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे, जो प्रथम जनवरी, 2006 को या उसके बाद नियुक्त किए गए हों (मृत्यु एवं सेवा निवृति उपदान को छोडकर)।

- (2) कोई व्यक्ति, जो सेवा या पद से सेवा निवृत्त होता है, अधिवर्षिता पेंशन (किंतु पेंशन की किसी अन्य किस्म के लिए नहीं) के लिए अर्हक सेवा में परिवर्धन करने के लिए पात्र होगा,—
 - (i) उसकी सेवा की अवधि के एक चौथाई से अनधिक वास्तविक अवधि; या
 - (ii) वास्तविक अवधि, जिससे भर्ती के समय उसकी आयु पच्चीस वर्ष से अधिक होती है; या
 - (iii) पांच वर्ष की अवधि,

इनमें से जो भी कम हो, यदि वह सेवा या पद, जिसमें सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, निम्नलिखित में से कोई एक है,—

- (क) जिसके लिए प्रौद्योगिकी या व्यावसायिक क्षेत्र में वैज्ञानिक स्नातकोत्तर अनुसंधान या विशेषज्ञ अर्हता या अनुभव अनिवार्य है ; और
- (ख) जिस पर सामान्यतः पच्चीस वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवार भर्ती किए गए हैं: परन्तु यह छूट उस सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय होगी, जिसकी,—
- (i) नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की गई है और न कि पदोन्नित द्वारा ;
- (ii) वास्तविक अर्हक सेवा अधिवर्षिता सेवानिवृत्ति के समय दस वर्ष या अधिक है;
- (iii) किसी ऐसे पद पर नियुक्ति, जिसके लिए भर्ती नियमों में यह विशिष्ट उपबन्ध अन्तर्विष्ट है कि जिसमें सेवा या पद वह है, जो इस नियम का लाभ ले सकता है :

परन्तु उपनियम (2) के उपबन्ध, उन सेवा के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे, जो प्रथम जनवरी, 2006 को या उसके बाद नियुक्त किए गए हों (मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान को छोडकर)।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट छूट उसी विभाग में या किसी अन्य विभाग में किसी अन्य पद से ऐसे पद पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति को भी लागू होगी :

परन्तु यह कि सरकारी कर्मचारी या तो अपनी पूर्ववर्ती अर्हक सेवा को अधिवर्षिता पेंशन के लिए हिसाब में लेने का हकदार होगा या उपनियम (2) के अधीन छूट प्राप्त करने का हकदार होगा। वह इस आशय के विकल्प का प्रयोग पद ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर करेगा। एक बार विकल्प का किया गया प्रयोग अन्तिम होगा।

टिप्पण.— इस नियम के अधीन छूट प्रदान करने का निर्णय प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से भर्ती की तिथि से दो वर्ष के भीतर लिया जाएगा।

अनशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर (1) 13. यथा-संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगे :

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

- हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वे होगें जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं।
- सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं को टीका लगवाएगा तथा जब कभी सरकार किसी विशेष या टीका लगवाना। साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पूनः टीका लगवाएगा ।

सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राज्यनिष्टा की शपथ न ले ली हो. ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी ।

राज्यनिष्ठा की शपथ ।

जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण अभिलिखित करते हुए, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

ढील देने की शक्ति।

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष 17. निबंधन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है ।

विशेष उपबंध।

इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी:

आरक्षण।

परन्तु इस प्रकार किये गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

परिशिष्ट क (देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या		ſ	वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	निदेशक (प्रशासन)	1	_	1	एफ० पी० एल० ₹ 1,18,500 / —
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	_	1	एफ० पी० एल० ₹ 67700 / —

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 6)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो	
1	2	3	4
1	निदेशक (प्रशासन)	·	पदोन्नित द्वारा— वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) निदेशक (प्रशासन) के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी / संस्कृत।
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी		पदोन्नित द्वारा— प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में संबंधित क्षेत्र में पाँच वर्ष का अनुभव; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी / संस्कृत।

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 13 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरुप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	निदेशक (प्रशासन)	सरकार	छोटी शास्तियां हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित।	सरकार	सरकार
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी		बड़ी शास्तियां हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित।		

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 13(2)]

क्रम	पदनाम	आदेश का स्वरुप	आदेश करने के लिए	अपील प्राधिकारी
संख्या	2	3	सशक्त प्राधिकारी	
1				
1	2	3	4	5
1	निदेशक (प्रशासन)	(i) पेंशन को शासित करने वाले	सरकार	सरकार
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	नियमों के अधीन अनुज्ञेय अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) सेवा के सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।		

अंकुर गुप्ता, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

INFORMATION TECHNOLOGY, ELECTRONICS AND COMMUNICATION DEPARTMENT

Notification

The 6th September, 2019

No. G.S.R. 44/Const./Art.309/2019.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed, to the Haryana Information Technology, Electronics and Communication Department (Group A) Service, namely:-

PART 1 – GENERAL

Short title and commencement.

- **1.** (1) These rules may be called the Haryana Information Technology, Electronics and Communication Department (Group A) Service Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

- 2. In these rules, unless the context otherwise requires.-
 - (a) "Administrative Secretary" means, Additional Chief Secretary/ Principal Secretary to Government, Haryana, Information Technology, Electronics and Communication Department as the case may be;
 - (b) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;
 - (c) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an officer already in service of the Government of India or any State Government;
 - (d) "Government" means the Government of the State of Haryana in the Administrative Department;
 - (e) "institution" means,-
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
 - (ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;
 - (f) "recognized university" means,
 - (i) any university incorporated by law in India; or
 - (ii) any other university which is declared by Government to be a recognized university for the purpose of these rules;
 - (g) "Service" means the Haryana Information Technology, Electronics and Communication Department (Group A) service.

PART II RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

- Nationality domicile and character of candidates appointed to service
- 4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is:-
 - (a) a citizen of India; or
 - (b) a subject of Nepal; or
 - (c) a subject of Bhutan:

Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person, in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

- (3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal, academic officer of the university, college, school or institution last attended if any, and similar certificates from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.
- **5.** Appointment to the post in the Service shall be made by the Government.

Appointing authority.

6. No person shall be appointed to any post in Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 4 of the Appendix **B** to these rules.

Qualifications

Disqualifications

7. No person,-

e living:

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;
 or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. (1) Recruitment to the Service shall be made,-

Method of recruitment

- (a) in the case of Director(Administration),-
 - (i) by promotion from amongst Senior Administrative Officer; or
 - (ii) by transfer or deputation of an officer already in service of any State Government or Government of India;
- (b) in the case of Senior Administrative Officer,-
 - (i) by promotion from amongst Administrative Officer; or
 - (ii) by transfer or deputation of an officer already in service of any State Government or Government of India.
- (2) The appointment by transfer or deputation shall be made only in exceptional circumstances when a suitable person is not available for promotion.
- (3) All promotions, unless otherwise provided shall be made on the seniority-cummerit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.
- **9.** (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation, for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise:

Probation.

Provided that-

- (a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the Service, may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.
- (2) if, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,-
 - if, such person is appointed by direct recruitment, dispense with his service;
 and
 - (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment;-
 - (i) revert his to his former post; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit.

- (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may-
 - (a) if his work or conduct has in its opinion been satisfactory,-
 - (i) confirm such person from the date of the appointment, if appointed against a permanent vacancy; or
 - (ii) confirm such person from the date which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or
 - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or
 - (b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,-
 - (i) dispense with the services, if appointed by direct recruitment, and if appointed otherwise, revert his to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of his previous appointment permit; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such orders, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority of members of Service.

10. The Seniority, inter- se of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately, for each cadre:

Provided further that in case of members appointed by direct recruitment the order of merit determined by the Commissioner, shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more member's appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:-

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior a member appointed by promotion or by transfer,
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer:
- (c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

- 11. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.
 - (2) A member of the Service may also be deputed to serve as under,
 - (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or an university within the State of Haryana;
 - (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
 - (iii) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

12. (1) In respect of pay, leave, pension and all others matters, not expressly provided for in these rules, the member of the service shall be governed by the Haryana Civil Services (General) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Pay) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Travelling Allowance) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Allowance) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (General provident fund) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) rules, 2016, the Haryana Civil Services (Government Employment Conduct) Rules, 2016 and by such rules and regulations as may have been, or may thereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature:

Pay, leave, pension and other matters.

Provided that the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 shall not be applicable to those members of service, who are appointed on or after the 1st January, 2006.

- (2) A person who retires from Service or post shall be eligible to add to his Service qualifying for superannuation pension (but not for any other class of pension)--
 - (i) the actual period not exceeding one fourth of the length of his service; or
 - (ii) the actual period by which his age at the time of recruitment exceeds twenty –five years; or
 - (iii) a period of five years, whichever is less, if the Service or post to which the Government employees is appointed is one-
 - (a) for which post -graduate research or specialist qualification, or experience in scientific, technological or professional fields is essential; and
 - (b) to which candidates of more than twenty –five years of age are normally recruited:

Provided that this concession shall be admissible to a Government employee—

- (i) appointed by direct recruitment and not by promotion;
- (ii) who has actual qualifying services of ten years or more at the time of superannuation retirement;
- (iii) appointed to a post, the recruitment rules of which contain a specific provision that the service or post is one which carries the benefit of this rule;

Provided that provision of above said sub-rule (2) shall not be applicable to those members of service who are appointed on or after the 1st January, 2006.

(3) the concession referred to sub rule (2) shall also be admissible on subsequent appointment from any other post to such a post in the same or any other department:

Provided that Government employee shall be entitled either to count his past qualifying service for superannuation pension or to get concession under sub-rule (2). He shall exercise an option to this effect within one year from the date of joining. The option once exercised shall be final.

Note: - The decision to grant the concession under this rule shall be taken within two years from the date of recruitment by the Administrative Department in consultation with the Finance Department.

13. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, as amended from time to time:

Discipline, penalties and appeals.

Provided that nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall subject to the provisions of any law or rules made under articles 309 of the Constitution of India be such as are specified in Appendix C to these rules.

- (2) The Authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, and the appellate authority shall also be as specified in Appendix D to these rules.
- **14.** Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Vaccination.

Oath of allegiance.

15. Every member of the service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

16. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special Provisions.

17. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

18. Notwithstanding anything contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time:

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty percent at any time.

APPENDIX A (see rule 3)						
Serial	Designation of post	Number of posts			Scale of pay	
Number		Permanent	Temporary	Total		
1	2	3	4	5	6	
1	Director (Administration)	01	-	01	F.P.L. ₹.118500/-	
2	Senior Administrative Officer.	01	-	01	F.P.L. ₹.67700/-	

	APPENDIX B (see rule 6)					
Serial Number	Designation of posts	Academic Qualification and experience, if any, for the direct recruitment.	Academic Qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment.			
1	2	3	4			
1	Director (Administration)		by promotion: three years experience as Senior Administrative Officer by transfer or deputation,- (i) three years' experience as Director (Administration); and (ii) Hindi or Sanskrit up to matric standard or higher education.			
2	Senior Administrative Officer	_	by Promotion: three years' experience of the post of Administrative Officer. by transfer on deputation: (i) five years' experience in the relevant field as Senior Administrative Officer. (ii) Hindi or Sanskrit up to matric standard or higher education.			

APPENDIX C [see rule 13 (1)]							
Serial number	Designation of posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate Authority		
1	2	3	4	5	6		
1	Director (Administration)	Government	I. Minor Penalties:- As specified in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeals) Rules, 2016;	Government	Government		
2.	Senior Administrative Officer	Government	II. Major Penalties:- As specified in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeals) Rules, 2016.				

Appendix-D [see rule 13 (2)]							
Serial Number	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate Authority			
1	2	3	4	5			
2	Director (Administration) Senior Administrative Officer	 (i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rule, governing pension; (ii) terminating the appointment of a members of service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation. 	Government	Government			

ANKUR GUPTA,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Information Technology, Electronics and Communication Department.

57348---L.R.---H.G.P., Chd.